

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 20/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत बनाम 1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी वर्द्धमान  
समिति सुवाणा, तहसील व जिला अजमेरा निवासी 7 एम 7, आर.सी.  
भीलवाडा जरिये सरपंच/सचिव, व्यास कॉलोनी, भीलवाडा  
ग्राम पंचायत पालड़ी 2. श्री कृष्णगोपाल पुत्र मिश्रीलाल पोरवाल  
निवासी पालड़ी तहसील भीलवाडा

3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति  
सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश 07/12/2009, पत्रावली संख्या 36, पट्टा संख्या 793,  
तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति  
सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पारस कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से
3. श्री रमेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से



### निर्णय

दिनांक 10.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नहीं की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/-रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी फ़ैक्ट्री लगी हुई है। तत्कालीन समय की ग्राम पंचायत की पत्रावली का निरीक्षण अंकित नहीं है

*[Handwritten signature]*

कलक्टर



जाहिर होता है ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण अवेहलना करते हुये एक ही परिवार को क्षेत्राधिकार से परे जाकर नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी किये हैं जिन्हें निरस्त किया जाना युक्तियुक्त ठहरता है।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने जवाब में अंकित किया कि उक्त प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि को ग्राम पंचायत से कय की गयी एवं उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराया गया।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त विक्रय पत्र एवं पंजीयन दस्तावेज के संबंध में कोई पुष्ट साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पट्टा जारी होने से पूर्व उक्त प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कय की गयी हो। ऐसे में प्रश्नगत पट्टा नियमों के विरुद्ध जारी किया होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 793 दिनांक 07.12.2009 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 793 दिनांक 07.12.2009 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
आति. जिला कलक्टर,  
भूलवाडा  
भूलवाडा